बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- 151862 पटना, दिनांक- 13-06-2013

ग्रा.वि.5/सा0आ0जन0-(अनु.)-103-07 2012

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-जिला
SECC पदाधिकारी,
सीतामढ़ी ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के दौरान आने वाली प्रमुख समस्याओं के संबंध में ।**

प्रसंग:- **आपका पत्र संख्या- 37/ SECC दिनांक-29.04.13,**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ किया जाय । उक्त पत्र के द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011(SECC-11) के सर्वेक्षण के दौरान आने वाली प्रमुख समस्याओं का बिन्दुवार उल्लेख करते हुये निराकरण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । बिन्दुवार निराकरण एवं मार्गदर्शन निम्नवत् संलग्न किया जाता है ।

क्रम	पत्र के बिन्दु	मार्गदर्शन
1	1 एवं 2	डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की उपलब्धता एवं उनके पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु पत्रांक-150231 दिनांक-30.05.13 के द्वारा श्री एम.एस.मूर्ति ECILपटना को पत्र लिखा गया है।
2.	3 एवं 4	विभागीय पत्रांक 150227, दिनांक 30.05.13 के द्वारा प्रबंध निदेशक, BSEDC Ltd. बेल्ट्रॉन, पटना को UPS के Back-up के संबंध में तथा कम्प्यूटर की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया है ।
3.	5	आपके जिला में प्रगणन का कार्य 98.1 प्रतिशत पूरा हो चुका है । अत: निकटवर्ती चार्ज केन्द्रों में जहाँ प्रगणन एवं पर्यवेक्षकीय सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ से अतिरिक्त TPC माँगकर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है ।
4.	6	इस संबंध में कहना है कि मानदेय एवं TA/DA मद में आपके जिला के लिए प्रावधानित राशि कुल रू0 3,28,84,500/- रूपये है, इसके विरूद्ध अब तक कुल रू0 3,05,91,413/-रूपये आवंटित किया गया है । शेष राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त होते ही वास्तविक व्यय के आधार पर आपके जिला को आवंटित किया जा सकेगा ।

5.	7	इस संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या-100744, दिनांक-12.04.12 के अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 में SECC के Fund के Utilization तथा मानदेय एवं TA/DA के दर एवं अनुमान्यता का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है । प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के मानदेय एवं TA/DA की गणना EBs की संख्या के आधार पर की गई है । तथा भुगतान भी केवल EBs के आलोक मे की जानी है ।
6.	8	सर्वेक्षण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये सर्वेक्षण के कार्य को कराया जाना है । फिर भी यदि आप अच्छी गुणवत्ता के साथ कम दिनों में ही प्रगणन एवं पर्यवेक्षकीय सत्यापन का कार्य पूर्ण करा सकते है तो उसे कराकर उतने ही दिनों का निर्धारित दर से भुगतान करें । विदित हो कि SECC-11 के तहत विभिन्न कार्यो के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम है ।
7.	9	207, EBs के village code एवं sub block code mismatch की सूची पत्र के साथ संलग्न नहीं है । इसे उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

अत: अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गदर्शन के आलोक में SECC-11 का सर्वेक्षण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

13/6/13

(अनिल कुमार सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।